UPLK010151692022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 2060/2022</u>

सरकार **बनाम** ब्रजमोहन वर्मा उर्फ अर्जुन सिंह

अ0सं0 575/2019
धारा–406,419,420,120बी,354,
323,504,506,448 भा0द0सं0
तथा धारा 3(1)द, 3(1)ध,
3(2)va, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–वजीरगंज, लखनऊ।

<u>22–02–2023</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त ब्रजमोहन वर्मा उर्फ अर्जुन सिंह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 419, 420, 120बी, 354, 323, 504, 506, 448 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)va के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17.03.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010151692022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 2060/2022</u>

सरकार **बनाम** ब्रजमोहन वर्मा उर्फ अर्जुन सिंह

अ0सं0 575/2019
धारा–406,419,420,120बी,354,
323,504,506,448 भा0द0सं0
तथा धारा 3(1)द, 3(1)ध,
3(2)va, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–वजीरगंज, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त ब्रजमोहन वर्मा उर्फ अर्जुन सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक, समय अदम तहरीर थाना वजीरगंज, लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम निजामुद्दीनपुर में स्थित भूखण्ड खसरा संख्या–2, जिसे उक्त भूमि के असली मालिक मोहर्रम अली ने दिनांक 01.02.1986 को उक्त खसरे के सम्पूर्ण भू–भाग को पर्वतीय सहकारी आवास समिति के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करके समिति को कब्जा दे दिया था। उपरोक्त समिति से वादी द्वारा उक्त भूखण्ड को वर्ष 2008 में क्रय कर लिया गया था और सम्पूर्ण भूखण्ड की बाउन्ड्री कतिपय निर्माण कार्य करा दी थी, जिसे आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों को अभिलिखित कर उक्त सम्पूर्ण भू–भाग का वारासत दर्ज कराकर द्वितीय बैनामा अपने पक्ष में करवा लिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–406 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करने का अपराध किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–419 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि भिन्न–भिन्न तिथियों व समय पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर जानबूझकर वादिनी मुकदमा एवं समिति के अन्य सदस्यों के साथ छल करके कपट व बेईमानी से उक्त सम्पत्ति के संदर्भ में दस्तावेजों को निर्मित किया और उक्त सम्पत्ति से संबंधित विक्रय पत्रों को अपने गैंग के सदस्यों व उनके परिवार के पक्ष में छल करके वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य आपराधिक षड़यंत्र कारित करते हुए, बेईमानी पूर्वक निष्पादित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–420 सपठित धारा 120बी के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ:यह कि आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के द्वारा उक्त भूखण्ड पर बने निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचने पर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–354 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम:यह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध करने पर आप लोगो द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति अनिल कुमार को स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम्:यह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध करने पर आप लोगो द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति अनिल कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तम:यह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध करने पर आप लोगो द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति अनिल कुमार को जान माल की धमकी देकर आरपराधिक अभित्रास किया इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–506 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टम:यह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के उक्त भूखण्ड की बाउन्ड्री के अंदर निर्मित कमरे पर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–448 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

नवम्:यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके पति को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

दशम्:यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके पति जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एकादश:यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके पति, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को मारपीट कर उपहति कारित किया, जातिसूचक गालियां दी, जान माल की धमकी दी तथा उनकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया। तदैव आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(2)Va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लेागों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 22–02–2023

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 22–02–2023

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.02.22 17:16:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court